न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 68 / 2018

1 सुल्तान सिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 देवेन्द्र पुत्र हरदयाल सिंह।
2 शिवकुमार पुत्र फुसाराम।
3 हरफुल पुत्र फुसाराम।
4 राजेन्द्र पुत्र फुसाराम।
5 जिनकू देवी पत्नी फुसाराम।
6 माना देवी पत्नी हरदयाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 कैनरा बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।
8 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा फतेहपुर जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।
9 पटवारी हल्का बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
10 तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.06.2018 मुकदमा नम्बर 46 / 2018 बउनवानी देवेन्द्र बनाम सुल्तान सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 20-01-2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 175 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 3.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 32 रकबा 2.44 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 11.74 हैक्टेयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर है जिसमें 3/7 हिस्सा अर्थात 4.9157 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट खसरा नम्बर 180 रकबा 4.42 हैक्टेयर ग्राम बीबीपुर छोटा का खातेदार है। प्रार्थी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 182,181,175,179 में से जाने वाले कटाणी रास्ता जो आगे मरडाटू तक जाता है मे से खसरा नम्बर 175 में से लाल रंग से दर्शित सुर्ख रेखा से खसरा नम्बर 180 में से होकर प्रार्थी खसरा नम्बर 186 में अपने पूर्वजो के समय से आवागमन करता चला आ रहा है तब इसी रास्ते से ट्रेक्टर लाना ले जाना व खेत की लाट बाट करता है जो प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने से अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट ने बन्द कर दिया व खसरा नम्बर 180 के पूर्वी सीमा के सहारे से नया रास्ता कायम करने की चेष्टा कर रहा है, जबकि खसरा नम्बर 180 की पूर्वी सीमा एक ऊंचा टीला है जिससे आवागमन कतई संभव नही है तथा लाल रंग से दर्शित रास्ता न्यूनतम

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दूरी का है जिसका रिकार्ड में अंकन कर 15 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। उक्त आशय के आवेदन के अपीलांट के पास नोटिस जाने पर अपीलांट ने दिनांक 29.06.2018 को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब हेतु अवसर चाहा तथा आगामी पेशी 03.08.2018 नियत की गयी परन्तु अपीलांट के हाजिर होने से दूसरे ही दिन दिनांक 30.06.2018 को निर्णय पारित कर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 180 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 15 फिट रास्ता के बाबत आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 180 के मध्य में से रास्ता चाहा गया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिया गया है। खसरा नम्बर 187 के दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे बीबीपुर छोटा से मरडाटु तक डामर रोड़ लघुतम रास्ता होते हुये भी खसरा नम्बर 187 में से रास्ता प्रस्तावित नही किया है। विचारण न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व है अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 180 से 175 तक रास्ते का अंकन चाहा है खसरा नम्बर 186 व 175 हमारा है। दिये गये रास्ते से अपीलांट को भी रास्ता प्राप्त होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में दिनांक 06.06.2018 को अपीलांट की तामील विचारण न्यायालय की आदेशिका में अदम तामील अंकित है। इसके उपरान्त 29.06.2018 तिथि नियत की गई है। इस तिथि से पूर्व ही दिनांक 12.06.2018 को अपीलांट की तामील से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्पष्ट है कि विधिक प्रकिया की पालना नही की गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलांट की मौजुदगी में अथवा अपीलांट को सूचित किये बिना तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अपनाकर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर